४

संख्या-15/2017/आर.एफ.20 /नौ-9-17-09आर.एफ./15

पेषक,

श्रवण कुमार सिंह,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत,

रूदायन, जनपद-बदायूं।

नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 03 जनवरी, 2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 में नया सवेरा नगर विकास योजनान्तर्गत **अनुदान संख्या-83** से ब्याज रहित ऋण के रूप में द्वितीय किश्त की धनराशि स्वीकृति करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या आर.एफ.23/नौ-9-2015-09 आर.एफ. /15 दिनांक 19 फरवरी, 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में नया सवेरा नगर विकास योजना के अन्तर्गत अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु ब्याज रहित ऋण के रूप में नगर पंचायत, रूदायन, जनपद-बदायूं को रू0 210.50 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि रू0 105.25 लाख अवमुक्त की गयी। उक्त निकाय द्वारा अवमुक्त 50 प्रतिशत की धनराशि का उपयोग करते हुये अवशेष 50 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसके दृष्टिगत उपर्युक्त शासनादेश संख्या-आर.एफ.23/नौ-9-2015-09आर.एफ. /15 दिनांक 19 फरवरी, 2015 में उल्लिखित शर्तो के **अन्तर्गत नगर पंचायत, रूदायन, जनपद-बदायूं को अवशेष धनराशि कुल रू0 105.25 लाख (रूपये एक करोड पॉच लाख पच्चीस हजार मात्र)** अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की **अनुदान संख्या-83** के लेखा शीर्षक-'6215-जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज-आयोजनागत-02-मलजल तथा सफाई-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-03-नया सवेरा नगर विकास योजना-0303- नगर पंचायतें-30-निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा तथा अनुदान संख्या-83 के लेखा शीर्षक-"6215-जलपूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज-आयोजनागत-02-मल-जल तथा सफाई-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-03-नया सवेरा

नगर विकास योजना-0301- नगर निगम-30-निवेश/ऋण ' में उपलब्ध बचत से पुर्नविनियोग कर वहन किया जायेगा।

(2) सम्बन्धित निकाय द्वारा चालू कार्यो हेतु स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि का बिल जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में धनराशि स्थानान्तरित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(3) उक्त् स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2017 तक करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(4) संख्या- आर.एफ.23/नौ-9-2015-09आर.एफ. /15 दिनांक 19 फरवरी, 2015 में उल्लिखित शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

2. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रतिनिधानित प्रशासकीय अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक-बी.एम.-9 प्रपत्र

भवदीय,

(श्रवण कुमार सिंह)
उप सचिव।

संख्या-15/2017/आर.एफ.20 (1)/नौ-9.2017 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. कोषाधिकारी, बदायूं ।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7. कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. सम्बन्धित नगर पंचायत, अध्यक्ष, उ0प्र0।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-8
10. गार्ड फाइल।
11. वेब मास्टर, कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।

आज्ञा से,

(श्रवण कुमार सिंह)
उप सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017
आवंटन दिनांक-03/01/2017

प्रेषण संख्या:- 15

आवंटन आदेश संख्या:- 001-15-2017-RF20-9-9-17-09RF-15

अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनागत-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
789 - अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना
03 - नया सवेरा नगर विकास योजना
03 - नगर पंचायतें

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	बदायूं-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10525000 33607000	10525000 33607000
	योग	वर्तमान प्रगामी	10525000 33607000	10525000 33607000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ पाँच लाख पच्चीस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीन करोड़ छत्तीस लाख सात हजार

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी